

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 3/3/दो-12-48/2007

बिलासपुर दिनांक 04 अगस्त, 2023

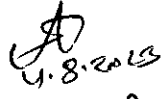
कार्यालय विविध आदेश क्रमांक क/दो-12-48/2007 बिलासपुर दिनांक 14 जून, 2023 द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 2162/दो-12-48/07, बिलासपुर दिनांक 23-06-2023 के अंतर्गत आकस्मिकता निधि के (कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले) कर्मचारी वाहन चालक हेतु विज्ञापित रिक्त 01 पद पर तालिका में दर्शित निम्नांकित अभ्यर्थी को कलेक्टर द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतन दर पर उसके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वाहन चालक के पद पर पूर्णतः अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	अभ्यर्थी का नाम व पता	वर्ग	पद का नाम
1	2	3	4
1	श्री राकेश कुमार पिता श्री मयाराम, पता- मु० व पो० किरारी, व्हाया नरियरा तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ०ग०) पिन-495553	अनुसूचित जनजाति	वाहन चालक

—:: नियुक्ति की शर्तें ::—

1. नियुक्त कर्मचारी आवश्यक रूप से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति तथा अवलोकनार्थ मूल प्रति कार्यभार ग्रहण करते समय लेकर आयेंगे। यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् भी उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
2. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिला चिकित्सालय के जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शासकीय सेवा हेतु फीट (योग्य) है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उनकी नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।
3. नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्तिकर तीन प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश किया जायेगा। यदि चरित्र सत्यापन में सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
4. कर्मचारी की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी है। भविष्य में कार्य अथवा आचरण के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर बिना कोई कारण बताये तत्काल सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

5. नियुक्त कर्मचारी की पदस्थापना इस सिविल जिला के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में की जा सकती है।
6. नियुक्त कर्मचारी आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अर्थात् 19-08-2023 तक नियुक्त किये गये पद का कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।


4.8.2023
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)

पृष्ठांकन क्रमांक 825/दो-12-48/2007

बिलासपुर, दिनांक 04 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि:-

01. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक 1931/तीन-18-27/2008 बिलासपुर दिनांक 12-03-2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, बिलासपुर की ओर न्यायालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।
03. लेखापाल कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. श्री राकेश कुमार पिता श्री मयाराम, पता- मु0 व पो0 किरारी व्हाया नरियरा, तहसील अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा (छ0ग0) पिन-495553 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


4.8.2023
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)